IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के सामाजिक और मानवीय विकास पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार

Sunny Kumar,

Research Scholar, Department of Political Science,

University of Lucknow, Lucknow

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका महतवपूर्ण है। कृषि कार्य, औद्योगिक, निर्माण कार्य, सेवा क्षेत्र से लेकर युद्ध कार्य तक में श्रमिकों की उपस्थिति अपरिहार्य है। समाज का अभिन्न अंग होने के बाद भी श्रर्मिक वर्ग को सामाजिक एवं मानवीय रूप से निम्न क्षेणी में देखा जाता है जोकि किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। रात दिन परिश्रम करने के उपरांत भी सामाजिक, आर्थिक व राजीतिक पहलू से यह वर्ग अत्यन्त पिछड़ी क्षेणी में आता है। स्वतंत्रता संगाम में अंग्रेजों व सामांत वर्ग के द्वारा उत्पीड़ित इस वर्ग के उत्थान के लिए अनेक आंदोलन किये गये जिनकी परिणीती विभिन्न श्रम कानूनों में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। इसी क्रम में संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने श्रमिकों वर्ग के विशेषतः असंगठित क्षेत्र के कामगारों तथा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के पक्ष में अभूतपूर्व कार्य किए जिनकी झलक भारतीय संविधान में स्पष्ट देखी जा सकती है। बंबई लजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य तथा वायसराय कार्यकारिणी में श्रम विभाग के सदस्य रहते हुए उन्होंने श्रमिक वर्ग के उन सभी समस्याओं की तरफ विशेष ध्यान दिया को, जिनपर सामान्य तौर पर कम ध्यान दिया जाता था क्योंकि उस समय श्रमिक आंदोलनों का संचालन जिनके हाथ में था वे मुख्यतः फैक्टरी, कल कारखानों आदि में काम करने वाले भारतीयों की समस्या को महत्वपूर्ण मानते थे जबकि अम्बेडकर ने सामान्य असंगठित कामगारों का पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण तथा तार्किक रूप से रखा। कालांतर में भारतीय संविधान में भी श्रमिक वर्ग को सामाजिक, आर्थिक व कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष उपबंधों को शामिल किया गया जिसका श्रेय मुख्य रूप से अम्बेडकर द्वारा किये गये प्रयासों को ही जाता है। उत्तर स्वतंत्रताकाल में भारत सरकार ने समय पर श्रमिकों के कल्याण तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं तथा सांविधानिक कानूनों का निर्माण किया। यह शोध पत्र राष्ट्र निर्माण में श्रमिक वर्ग के सामाजिक एवं मानवीय विकास पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों के अध्धयन हेतु लिखा गया है।

मुख्य शब्द : श्रमिक वर्ग, राष्ट्र निर्माण, विकास, सामाजिक सुरक्षा, महिला श्रमिक, वंचित वर्ग, अम्बेडकर

प्रस्तावना

भारत में श्रम सुधार का कार्य 19वीं शताब्दी के उत्तार्द्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के शुरू हुआ जो समय के साथ आगे बढ़ता रहा। उस समय रेलवे का निर्माण इस दिशा में प्रथम प्रयास था। आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही कारखानों में अनेक बुराईयां जैसे काम के अधिक घण्टे, आवास की असुविधा, कम वेतन, अत्याधिक असुरक्षा आदि देखने को प्राप्त हुई। कारखानों में सुधार हेतु प्रथम प्रयास समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किया गया है। प्रारम्भिक दिनों में राष्ट्रवादी नेताओं का रुख श्रम सुधार के प्रति उदासीन रहा। उदासीनता का कारण साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन था जो अपने पहले चरण में था, राष्ट्रवादी नेता इस समय केवल उन्हीं मुददों से लड़ना चाहते थे जिसमें समुचे देश की भागीदारी हो। सन् 1881 और 1891 के कारखाना अधिनियमों का राष्ट्रवादी नेताओं ने इसलिए आलोचना की कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि सरकार इन अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश उत्पादकों का कल्याण करना चाह रही हैं, और भारतीय उत्पादों को बाजार से गायब करना चाह रही है। चूँकि राष्ट्रवादी नेता तीव्र औद्योगीकरण के पक्षधर थे इसलिए औद्यिगीकरण के इस दौर में श्रम कानूनों को व्यवधान नहीं बनाना चाहते थे। इस समय का एक मात्र समाचार पत्र मराठा ही मिल मजदूरों की रियायतों के लिए वकालत करता था। श्रमिक वर्ग की पहली ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में हुआ। 1899 में ग्रेट इंडियनपंनिल सुनाल में कार्यरत श्रमिकों ने कम मजदूरी और अधिक कार्यविधि के कारण हड़ताल कर दी। मजदुर आंदोलन पर 1903 से 1908 के बीच चले स्वदेशी आंदोलन का समाकात्मक प्रभाव पड़ा। स्वदेशी के प्रमुख नेताओं में अश्विनी कुमार दत्त, प्रभातकुमार राय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष ने मजदूर आंदोलन को अपना समहयोग प्रदान किया। कालांतर में श्रमिकों की स्थिति पर डॉ भीमराव अम्बेडकर का ध्यान गया। उस समाज में जातिवाद छुआछूत आदि रूढ़िवादी बुराइयां देश के कौने कौने में व्याप्त थी जिसके कारण एक बड़े वर्ग के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता था जोकि अफ्रीका तथा दक्षिण अमेंरिका में अश्वेत लोगों पर किये गये अत्याचारों से भी ज्यादा घिनौने और क्रूर थे जिनसे से बचने का कोई रास्ता नही था। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था उनके लिए श्रम के बदले केवल कुछ मुटठ्ीभर अनाज आदि ही दिया जाता था। अर्थात श्रमिक केवल अपना पेट ही भर सकते थे इसके अलावा उन्हें किसी चीज का अधिकार नही था। पूर्व तथा समकालीन श्रमिक नेता जहां केवल फैक्टरी, मिल कारखानों से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दे रहे थे वहीं अम्बेडकर ने श्रमिकों सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के साथ शैक्षिक एवं स्वास्थय संबंधी पहलुओं पर भी जोर दिया जोकि अभुतपूर्व था। अम्बेडकर ने श्रमिकों के मानवाधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को अपने शोध कार्य का हिस्सा बनाया। ग्रामीण श्रमिक जिन पर आमतौर सामान्य स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का ध्यान तक नहीं जाता था उनकी समस्या का तुलनात्मक अध्ययन किया। अम्बेडकर ने सभी समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्त किया जो आज भी विश्वसनीयता रखते है।

शोध उददे्श्य : किसी भी शोध कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिये उसके उददे्श्य को जानना आवश्यक है। यह शोध पत्र डॉ. भीमराव अम्बेडकर के श्रमिकों के सामाजिक एवं मानवीय विकास के द्वारा राष्ट्र निर्माण से प्ररित उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें अम्बेडकर की राष्ट्र दृष्टि का अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित शोध कार्य में निम्नलिखित उददे्श्यों को दृष्टिगत कर अध्ययन किया जाएगा–

1. श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु डॉ अम्बेडकर के कार्यो का अध्ययन करना।

2. उत्तर स्वतंत्रताकाल में श्रमिक वर्ग के लिए बनाये गये महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं का अध्धयन करना।

3. वर्तमान समय में श्रमिक वर्ग के सामाजिक एवं मानवीय विकास में आने वाले मुख्य अवरोधों का अध्ययन करना।

4. राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के सामाजिक एवं मानवीय विकास के महत्व का अम्बेडकर के दृष्टिकोण से अध्ययन करना।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन विवराणात्मक, तुल्नात्मक, विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक शोध पद्धतियों पर आधारित है जिसमें प्राथमिक और द्वितियक दोनों स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों का उपयोग किया जायेगा। प्राथमिक स्त्रोतों के अन्तर्गत डॉ अम्बेडकर और श्रमिक वर्ग से संबंधित पुस्तकों, लेखों आदि का उपयोग किया जायेगा। द्वितियक स्त्रोतों के अन्तर्गत शोध विषय से संबंधित सन्दर्भ पुस्तकों, प्रमुख शोध पत्रों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों से प्राप्त तथ्यों का उपयोग किया जाएगा।

श्रम सुधार संबंधी डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर हमारे महानतम कानूनविदों और शिक्षाविदों में से एक थें। उनका भारत के संविधान की रचना में और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे देश कृतज्ञता से याद करता है। प्रारूप समीति के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने हमारे संविधान की आधारशिला के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के संबंध में कार्य किया। अम्बेडकर के लिए संविधान सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का साधन था जिन्हें संसद प्रगतिशील कानूनों के माध्यम से सक्रियतापूर्वक लागू करेगी। अम्बेडकर शिक्षक, कानूनविद्, संविधान विशेषज्ञ, समाज सुधारक, वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले और उच्च कोटि के नेता थे; वह हमें देश की आज की तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाते हैं। अम्बेडकर ने हमारी राजनीति में गहन उदार मूल्यों को प्रोत्साहित किया और समाज में सामाजिक चेतना जाग्रत करने का कार्य किया। उन्होंने राज्य का उदारवादी रूप स्वीकार करते हुए, कल्याणकारी राज्य स्थापना पर जोर दिया। अम्बेडकर ने ऐसी शासन प्रणाली का समर्थन किया, जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो तथा जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थपिका और न्यायपालिका की शक्तियां एक जगह केंद्रित न हो। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र एक पूर्व शर्त है। उनके द्वारा भारतीय समाज और भारतीयों राज्यों की बुराइयों की, उनकी पहचान तथा उनके बताए उपचार आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है। वे अपने समय से आगे थे और सदियों के पूर्वाग्रह और सामाजिक दमन के बोझ से दबे लोगों के न्याय और समानता के अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित थे। अम्बेडकर ने अंग्रेजों द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। अम्बेडकर ने वर्णव्यवस्था का विरोध किया तथा सदियों से चली आ रही पुरातन रूढ़िवादी व्यवस्था पर आक्रमण किया। उन्होंने वर्णव्यवस्था के नियमों को पूर्णतया अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण व गरिमा हीन बताया। जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता जिनकी जड़े वर्णव्यवस्था में है, का विरोध करते हुए अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय समाज की अनेक विकृतियों और अन्यायों के लिए जाति व्यवस्था उत्तरदायी है जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नही है। उन्होंने भारतीय समाज के परंपरागत् विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके, उसे समता और भ्रातृत्व के आदर्शों के आधार पर संगठित करने का प्रयास करते हुए उन्हे जागरूक एवं शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा साथ ही दलित विद्यार्थियों को शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण प्रदान करने का संवैधानिक प्रयास किया। उनके अनुसार समाज में महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप से अत्याधिक पिछड़ी है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की स्थिति ज्यादा चिंताजनक हैं। सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है जिसका उददेश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय तीन रूपों में शामिल है– सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जिनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबन्धों के जरिए की जाती है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में नीति निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है जिनका उददेश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना हैं। इनका उददेश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर, एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना हैं। अम्बेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थाई नही बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र वह जीवन शैली है जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। अम्बेडकर द्वारा किये कार्यों की झलक स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में दिखायी देती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में अनेक अमानवीय प्रथायें प्रचलित थी जिसका उददेश्य मुख्य रूप से सामंतवादी व्यवस्था को बनाये रखना था। सन् 1926 में उन्हें तत्कालीन मुंबई विधान परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी व्यावसायिक विद्वता के द्वारा विधान परिषद में अपने ओजस्वी भाषणों तथा विभिन्न लोक अभियानों के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों तथा शोषित वर्गों के कष्टों और समस्याओं को एक सशक्त वाणी प्रदान की। वर्ष 1937 ई. में अम्बेडकर ने प्रचलित महार वतन प्रणाली जिसमे अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में नौकरी करने पर यदि वह अनुपस्थित है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अनिवार्य रूप से उसके स्थान पर कार्य करना पड़ता था, का बंबई विधान परिषद प्रखर रूप से विरोध किया। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार दोनों का हनन करती थी। अम्बेडकर तथा उनके स्वतंत्र मजदूर पार्टी के प्रयत्नों से सरकार ने वतनधारी महारों के लिए सेवा शर्ते निर्धारित कर दी। महार वतन पर अपने पॉच लेख डॉ अम्बेडकर ने एक पुस्तक के रूप में संकलित करके प्रकाशित किए, जिसका नाम था, 'महार और उनके वतन अथवा बीसवीं सदी में गुलामी।' अनेक सभाओं और सम्मेलनों का आयोजन करके उन्होंने अपने विधेयक के लिए जन–समर्थन प्राप्त किया। दुर्भाग्य से दूसरी बार भी यह विधेयक पारित नही हो सका। परंतु उनके प्रयास और परिश्रम व्यर्थ नहीं रहे। 1956 में उनका निर्वाण होने के पश्चात् सन् 1959 में मुंबई कनिष्ठ गॉव वतन उन्मूलन अधिनियम द्वारा अंततः महार वतन प्रणाली समाप्त कर दी गई। दूसरी थी, खोत प्रणाली जिसमे खोट जमींदार किसानों से राजस्व वसूली का कार्य करते थे तथा इसका कुछ भाग सरकार को देते थे। खोत प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले गरीब किसानों के साथ खोत बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार करते थे, उनसे और उनके परिवार के सदस्यों मननानी बेगारी करवाते थे, उन्हें लगभग अपना गुलाम ही समझते थे। यह शोषण कई वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी यूँ ही चलता रहा। 17 सितंबर 1936 को अम्बेडकर ने खोती प्रणाली समाप्त करने के संबंध में अपना ऐतिहासिक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जिसका उददेश्य खोतों को दखल अधिकार प्राप्त करवाना तथा खोतों को होने वाली हानि के बदले क्षतिपूर्ति दिलवाना था। सन् 1949 में खोती उन्मूलन का लक्ष्य व्राप्त कर लिया। ऐसा करने वाले वे प्रथम लोक प्रतिनिधी थे। अम्बेडकर ग्रामीण गरीबों की आवश्कताओं और कठिनाईयों के साथ साथ औद्योगिक मजदूरों की समस्यओं से भी भली भॉति परिचित थे। साहूकारों के दुर्वतन पर रोक लगाने के उददेश्य से 1938 में एक विधेयक तैयार किया जोकि देश में अपने प्रकार का पहला विधेयक था। इस विधेयक में साहूकारी करने के लिए सरकारी अनुज्ञा–पत्र, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाए, दिए गए कर्ज की राशियों का लेखा लिखित रूप से रखना अनिवार्य करना, कर्जदार और साहूकार के बीच होनेवाले सौदों के लिए खाता बुक रखना अनिवार्य करना। ये सुझाव इतने पुरोगामी थे कि आज भी नवीन लगते हैं। अम्बेडकर के ओजस्वी विचारों की झलक स्पष्ट भारतीय संविधान में दिखायी देती है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति उपासना आदि की स्वतंत्रता शामिल है जिनके लिये अम्बेडकर ने अथक प्रयास किये और यही कारण है कि उन्हें भारतीय संविधान का संस्थापक भी कहा जायें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार अर्थात बलात श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। इसमें केवल शारीरिक या कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नही है, अपितु इसके आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता, यथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना आदि भी शामिल है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम, 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 बनाए गए। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 किसी फैक्टरी, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुचॉने वाले अथवा निर्दोष कार्यो में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम, 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अंतर्गत बालक नियोजन अधिनियम, 1938; कारखाना अधिनियम 1948; खान अधिनियम 1952; वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958; बगान श्रम अधिनिम 1951; मोटर वाहन कर्मकार अधिनियम 1951; प्रशिक्षु अधिनियम 1961; बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करते है। संविधान के भाग 4 में राज्य नीति

निदेशक तत्व शामिल किये गए है। संविधान का यह खण्ड राज्य को निर्देश देता है कि उसे सामाजिक न्याय हेतु व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिये नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिए। अनुच्छेद 38 का खण्ड 1 राज्य को लोककल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनायेगा ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके तथा खण्ड 2 आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानाताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 39 क पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों व स्त्रियों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन प्रदान करने को निर्देशित करता है। अनुच्छेद 39 ड़ पुरुष व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी या अशस्कता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार पाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहाचता का उपबंध करता है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन सतर व अवकाश की व्यवस्था करता और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 43/क उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिये उपयुक्त विधान बनाना। अनुच्छेद 43/ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतात्रिंक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। अम्बेडकर ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह वर्ष 1942 से वर्ष 1946 तक वाइसराय की कार्यकारी परिषद के श्रमिक सदस्य थे। वह संविधान सभा के सदस्य और बाद में भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रीमंडल में एक मंत्री भी थे। उनके लेखों में लोकतंत्र, पूँजीवाद, आर्थिक विकास और योजना, वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली और जाति व्यवस्था का अर्थशास्त्र के मुददे् शामिल थे। अम्बेडकर के लेखों से पता चलता है कि उन्होंने स्वयं को श्रमिक वर्ग में रखा था और मौजुदा साम्राज्यवाद की आलोंचना की थी। श्रमिक और श्रमिक विधान पर अम्बेडकर के विचारों को समझने के लिए हमें उनके आर्थिक विकास के सैद्धांतिक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। भूमि और श्रम के संबंध में पुँजी की कमी के कारण आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या ही मुलतः कृषि पिछड़ेपन की समस्या का मूल कारण था। इसलिए इसका समाधान इस प्रकार हैः भूमि और श्रम उत्पादकता में सुधार करना, परिवारिक भरण पोषण कृषि आय को बढ़ाना, उत्पादन पर निवेश की बचत हेतु घरेलु क्षमता का विस्तार करना। यह किया जा सकता है यदि भूमि पर कृषि श्रमिक अधिक है तो उन्हें उद्योग को स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे न केवल उत्पादकता में वृद्धि होगी बल्कि कृषि और उद्योग दोनों में श्रम का महत्व भी बढ़ेगा। अम्बेडकर ने इन विचारों को तब लागू किया जब उन्हें वर्ष 1942 में केंद्रीय मंत्रीमंडल में श्रम /सिंचाई और विद्युत विभाग का प्रभारी सदस्य बनाया गया था। उस समय विश्व युद्धोत्तर पुर्निर्माण और आर्थिक विकास की समस्या का सामना कर रहा था। अम्बेडकर का मानना था कि भारत में युद्धोत्तर पुर्निर्माण की समस्या अन्य युद्धग्रस्त देशों से वास्तव भिन्न थी। यूरोपीय देशों के विपरित, जहॉ ध्यान युद्ध में नष्ट हुए उद्योगों के पुर्निर्माण पर केंद्रित था, वहीं भारत में समस्या मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण था। आम जनता की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय लोकतंत्र के तहत पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की सीमाओं से अवगत कराते हुए, अम्बेडकर ने तर्क दिया कि देश के आर्थिक विकास हेतु श्रमिक का महत्व अधिक है। वह विशेष रूप से शांति, आवास, कपड़े , शिक्षा, अच्छा स्वास्थय और इनसे बढ़कर इज्जत के साथ कार्य करने का अधिकार हेतु चिंतित थे। राष्ट् का मुख्य उत्तरदायित्व है कि गरीबों को उनकी आवश्यकता अनुसार बढ़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए।

मुख्य निष्कर्ष :

1. श्रमिक वर्ग आर्थिक स्थिति में पूर्व से तुल्नात्मक रूप में सुधार आया आया है परंतु सामाजिक एवं मानवीय रूप से अपेक्षाकृत कम सुधार हुआ है।

2. श्रमिक वर्ग हेतु डॉ अम्बेडकर के द्वारा किये गये कार्य तथा उपाय आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने जब थे।

3. राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों वर्ग की भूमिका अन्य व्यवसाय कार्यों में संलग्न के समान ही महत्वपूर्ण है।

4. पुरूष श्रमिक की तुलना में महिला श्रमिक को, शहरी श्रमिकों की अपेक्षा ग्रामीण श्रमिक को, तथा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को अन्य श्रमिकों की अपेक्षा ज्यादा भेदभाव और सामाजिक एवं मानवीय पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ता है।

5. श्रमिकों के सामाजिक एवं मानवीय विकास में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उपसंहार

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसके श्रमिकों की भूमिका को सदैव से ही कम करके दिखाया जाता है जोकि किसी भी तरह से न्यायोचित नही है क्योकि जितना योगदान एक शिक्षक, एक व्यावसायी, एक सैनिक और एक राजनेता देते है उतना ही योगदान एक श्रमिक का भी होता है। संसद विधानसभा जिनमें बैठकर जन प्रतिनिधि देश के लिये कानून बनाते है उस इमारत का निर्माण श्रमिकों के परिश्रम से ही होता है। श्रमिक सबसे ज्यादा परिश्रम करता है चाहें कृषि कार्य हो या फिर किसी भवन का निर्माण हो। देश के प्रत्येक क्षेत्र श्रमिकों से जुड़ा है और उसके बाद भी समाज में उनकी गिनती सबसे नीचे रखी जाती है तथा अगर वह श्रमिक दलित या आदिवासी वर्ग से संबंध रखता हो तो उसे आर्थिक भेदभाव के साथ–साथ सामाजिक भेदभाव का शिकार भी होना पड़ता है। यदि वह श्रमिक महिला वर्ग से संबंध रखती हो तो उसे प्राप्त न्यूनतम पारिश्रमिक पुरुष वर्ग की अपेक्षा कम ही प्राप्त होता है। यह स्थिति शहर से ग्रामीण क्षेत्र में जाते जाते ओर भी गंभीर व चिंताजनक हो जाती है। वर्तमान परिदृश्य का अवलोकन करने पर प्राप्त होता है कि संगठित क्षेत्र की अपेंक्षा असंगठित क्षेत्र को ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसका कारण है इनका बिखरा होना है जिसके कारण इनमें संगठन व एकता की भावना विकसित नही हो पाती है और फलस्वरूप सामान्यतः ये देखा जाता है कि असंगठित कामगार अपनी समस्याओं को शासन व प्रशासन के सामने निर्भिकता व व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकाल में श्रमिक वर्ग तेजी से संगठित हुआ तथा अनेक श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं का उभार हुआ। उनमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जहां एक तरफ ज्यादातर श्रमिक नेता इस वर्ग को राजनीतिक मोहरे के रूप में प्रयोग करते थे वहीं दुसरी तरफ अम्बेडकर श्रमिक वर्ग को प्रत्येक तरह से मजबूत करने में कार्य किया। अम्बेडकर ने वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहते हुए तम्त्कालीन सरकार को श्रमिकों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। श्रमिकों को कौशल शिक्षा प्रदान करना, काम के घण्टे 8 करना, पुरुष व महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, महिला कृमि को प्रसुति सहायता प्रदान करना, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, साप्ताहिक पत्रिका जनता का विमोचन आदि कार्य श्रमिक कल्याण में अभुतपूर्व सिद्ध हुए। इससे पहले बंबई विधानपरिषद का सदस्य रहते हुए खोत प्रथा और महार वतन प्रणाली जैसी कुप्रथाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए आवाज उठायी और वे उस समय एकमात्र श्रमिक नेता जिन्होंने इन सभी गंभीर श्रमिक समस्याओं से सभी को अवगत कराया। उनके किये गये सभी कार्य और विचारों की झलक वर्तमान भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। उनके विचार जितने तब प्रासंगिक थे उतने ही आज भी प्रासंगिक है। वे एक महान श्रमिक नेता थे

जिन्होंने श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए। हालांकि उनके द्वारा दलित वर्ग के उत्थान हेतु इतने कार्य किये गये कि उनके श्रमिको के संबंध में किये कार्य छिप ही जाते है। यही कारण ही उन्हें एक श्रमिक नेता की अपेक्षा एक दलित नेता के रूप में ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समय समय पर श्रमिक को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न सरकारों ने अपने राजनीतिक केंद्र में रखा जिनकी परिणीती राज्य एवं केंद्र सरकारों के द्वारा संचालित विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं में देखा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण हेतु चलायी गयी योजनाओं में शामिल है; आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, मनरेगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन, पं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनीधि योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम कौशल योजना आदि संचालित है। श्रमिकों की स्थिति में आर्थिक रूप से बहुत कुछ सुधार देखने को प्राप्त हुआ लेकिन मानवीय एवं विकास की दृष्टि से आज भी स्थिति गंभीर बनी हुई हालांकि सरकार इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न स्वयं सेवक संस्थाओं की भूमिका रही है जो कि प्रशंसनीय है। आज भारत विश्व में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है उसमें श्रमिकों की भुमिका महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ सुची

1. अम्बेडकर, बी.आर.: एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1937
2. अम्बेडकर, बी. आरः रानाडे, गॉधी एण्ड जिन्ना, 1943
3. अम्बेडकर, बी, आरः व्हाट कांग्रेस एण्ड गॉधी हैव डन टू अनटचेबिल्स, 1946
4. अम्बेडकर, बी. आरः हू वर द शूद्राज?, 1946
5. अम्बेडकर, बी. आरः स्टेट एण्ड मॉयनोर्टीज, 1947
6. अम्बेडकर, बी. आर.: जाति विच्छेद, 1951
7. अम्बेडकर, बी. आरः राइज एण्ड फॉल ऑफ हिन्दू वुमैनः 1970
8. अम्बेडकर, बी. आरः कास्ट्स इन इण्डिया, 1970
9. कीर, धनंजयः डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जीवन–चरित, 1996
10. कतारिया, कांताः डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वीजन ऑफ नेशन बिल्डिंग, 2017
11. जाधव, नरेंद्रः डॉ अम्बेडकर, सामाजिक विचार एवं दर्शन, 2017
12. जाधव, नरेंद्रः डॉ अम्बेडकर, आत्मकथा एवं जनसंवाद, 2017